संख्या: 02/2022/1363565/12-2099/86/2021-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 14 जनवरी, 2022

विषय: कृषकों को उर्वरकों की बिक्री/वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से कराने, यूरिया की होर्डिंग/जमाखोरी रोकने तथा अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपदों से अवैध परिसंचलन रोकने हेतु सतत् निगरानी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश के कृषकों द्वारा रबी फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरान्त खड़ी फसलों में बोई गई फसल की आवश्यकतानुसार यूरिया उर्वरक की टॉप-ड्रेसिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में यूरिया उर्वरक की बिक्री/वितरण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अत्यधिक मॉग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की जमाखोरी/होर्डिंग/कालाबाजारी, अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यो, औद्योगिक इकाईयों में उपयोग तथा अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी किए जाने की सम्भावना के दृष्टिगत सतत् निगरानी/उर्वरक बिक्री केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण एवं पी0ओ0एस0 के अनुसार भौतिक सम्भार का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

2. अतएव, कृषकों को उर्वरकों की बिक्री/वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से कराने, यूरिया की होर्डिंग/जमाखोरी रोकने तथा अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपदों से अवैध परिसंचलन रोकने हेतु सतत् निगरानी किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) शासनादेश संख्या: 33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008, दिनॉक 15 सितम्बर, 2020 के द्वारा कृषकों को सुगमतापूर्व गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित है। समिति द्वारा जनपद में प्राप्त होने वाली यूरिया उर्वरक की क्षेत्रीय कृषकों की वास्तविक मॉग के अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आवंटन किया जाए, जिससे जनपद के समस्त क्षेत्रों में मॉग के अनुरूप सुगमतापूर्वक यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

http://sricandidesh.up.gov.in

(ii) उर्वरकों की बिक्री की सतत् निगरानी करते हुए कृषकों को उनकी जोत-बही/खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषित भूमि एवं उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित की जाए।

(iii) उर्वरक बिक्रेताओं द्वारा अपने उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर उर्वरक बिक्री करते समय उर्वरकों का वितरण विक्रय रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। विवरण में क्रेता कृषक की जोत-बही/खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का विवरण भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।

(iv) फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टो का सघन निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक उर्वरक विक्रेता स्थानीय स्तर पर अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण कर उर्वरकों का कृत्रिम अभाव तो उत्पन्न नहीं कर रहे, तथा अधिक भण्डारित स्टॉक को बाजार में कृषकों के लिए बिक्री हेतु अविलम्ब अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(v) शासनादेश संख्या: 65/2021/1363565/12-2099/86/2021-एफ.42/2001, दिनॉक 29 सितम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या: 85/2021/1363565/12-2099/86/2021,दिनॉक 16 नवम्बर, 2021 के द्वारा दिये गये विस्तृत निर्देशानुसार अनुदानित यूरिया के औद्योगिक या गैर कृषिगत कार्यो में सम्भावित उपयोग को रोकने हेतु टीम गठित कर समय-समय पर औद्योगिक इकाईयों पर छापे डालने की कार्यवाही की जाये तथा अनुदानित यूरिया उर्वरक का दुरूपयोग पाए जाने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(vi) शासनादेश संख्या:79/2021-2215/12-2-2021-एफ.42/2001, दिनॉक 24 अक्टूबर, 2021 के निर्देशानुसार अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता/वितरण की सघन निगरानी की जाए तथा आवश्यकतनुसार पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सहायता से अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं उर्वरकों की अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध आदेश/अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे उर्वरक विक्रेता/ असामाजिक तत्व जो अवैध गतिविधियों यथा होर्डिंग, जमाखोरी, कालाबाजारी/अधिक दर पर बिक्री/अन्य उर्वरकों/उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री/तस्करी करता हुआ पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध उर्वरक (उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रण) (नियंत्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तुअधिनियम,

http://sfacup.gov.in

1955 एवं उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश, 1973 में निहित सुसंगत प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया तद्नुसार उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 02/2022/1363565(1)/12-2099/86/2021-एफ.42/2001 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. प्रबन्ध निदेशक, पी.सी.एफ., उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि भवन, लखनऊ,
6. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in